बिहार विधान परिषद् सचिवालय
विज्ञापन सं.-02/2023
(डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु)
<u>आवश्यक सूचना</u>
(प्रमाण पत्रों का सत्यापन)

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के विज्ञापन सं.-02/2023 के आलोक में डाटा कोषांग में डाटा इंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर तथा लिपिकीय संवर्ग में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम परीक्षाफल बिहार विधान परिषद् की वेबसाईट पर प्रकाशित है। डाटा इंट्री ऑपरेटर तथा निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अंतिम परीक्षाफल में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन **परिषद् सचिवालय के विस्तारित भवन में दिनांक 05.12.2023 (मंगलवार) को 11.00 बजे पूर्वा.** में होगा। अभ्यर्थी निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उक्त स्थान पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। अभ्यर्थी सत्यापन हेतु विज्ञापनके अनुसार आवश्यक अन्य प्रमाण-पत्र के साथ-साथ निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे :-

1. ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति।
2. प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति।
3. सभी परीक्षार्थी अपना पहचान-पत्र (मूल प्रति में) यथा मतदाता पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ई-आधार (कलर प्रिंट) आदि के साथ उपस्थित होगे।
4. चार पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
5. मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
6. हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण/ कम्प्यूटर कोर्स प्रनाण पत्र (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
7. आवासीय प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
8. **आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :-** ऑनलाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

क. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं-2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची-I(प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

ख. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)

i. जाति –प्रमाण पत्र ।
ii. स्थायी निवासी (डोमिसाईल) प्रमाण-पत्र ।

ग. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया- प्रति)

i. जाति-प्रमाण पत्र ।
ii. स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र ।
iii. क्रीमीलेयर रहित प्रमाग-पत्र

9. दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार(Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत का नि:शक्तता(दिव्यांगता) प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया- प्रति)
10. प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा।
11. जो अभ्यर्थी बिना पूर्व सूचना के प्रमाण-पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होगे अथवा वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर परिषद् सचिवालय निर्णय ले सकता है।

30/11/23

(अखिलेश कुमार झा)
सचिव
बिहार विधान परिषद्